

थाना कछवां पुलिस, स्वाट व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 03 गांजा तस्करो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से डीसीएम में लदा 08 कुंतल गांजा(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 1.5 करोड़) बरामद—

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों व अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कछवां पुलिस, स्वाट व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा एक डीसीएम में 08 कुंतल गांजा के साथ 03 तस्करो को गिरफ्तार किया गया । थाना कछवां पुलिस, स्वाट व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.07.2021 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक डीसीएम वाहन जो आन्ध्र प्रदेश से चलकर, कछवां के रास्ते होते हुए वाराणसी की तरफ जायेगी । जिसमें अवैध मादक पदार्थ व आम लदा हुआ है । उक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा सघन छानबीन व तलाश की जाने लगी । इसी दौरान कटका पड़ाव स्थित गुरु नानक ढाबा के पास एक संदिग्ध डीसीएम यूपी 14 एचटी 7365 जिसपर तीन व्यक्ति बैठे थे । पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर घेर लिया गया । डीसीएम में बैठे तीनो व्यक्तियों का नाम व पता पूछा गया तो क्रमशः 1-मोतीलाल निषाद पुत्र राधिका प्रसाद निवासी पूरे भरोसी थाना सुकुल बाजार जनपद अमेठी, 2-रमेश महतो पुत्र स्व0 श्रीपाल महतो निवासी सलेमपुर थाना मांझी जनपद छपरा बिहार, 3-साहब प्रसाद निषाद पुत्र शिव बहादुर निवासी पूरे भरोसी थाना सुकुल बाजार जनपद अमेठी बताया । डीसीएम में लदे माल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त तीनो व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि डीसीएम में गांजा लदा है, जिसे कैरेट में आम रखकर ढक दिया गया है ताकि किसी को जानकारी न हो सके । नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा वाहन में लदी आम की कैरेट को हटाकर देखा गया तो उसके नीचे 31 बोरियों में लदा अवैध गांजा 08 कुंतल (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 1.5 करोड़) बरामद हुआ । जिसे विशाखापट्टनम से गाजियाबाद ले जाया जा रहा था । अवैध गांजा तस्करी में लिप्त डीसीएम का स्वामी पकड़ा गया मोतीलाल निषाद है, जिसमें पूछताछ के दौरान बताया कि मैं इस वाहन का प्रयोग अवैध रूप से गांजा की तस्करी में करता हूं । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कछवां पर मु0अ0सं0-90/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1-मोतीलाल निषाद पुत्र राधिका प्रसाद निवासी पूरे भरोसी थाना सुकुल बाजार जनपद अमेठी ।
- 2-रमेश महतो पुत्र स्व0 श्रीपाल महतो निवासी सलेमपुर थाना मांझी जनपद छपरा बिहार ।
- 3-साहब प्रसाद निषाद पुत्र शिव बहादुर निवासी पूरे भरोसी थाना सुकुल बाजार जनपद अमेठी ।

बरामदगी विवरण—

- 1-कुल 08 कुंतल अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब ₹ 1.5 करोड़)
- 2-वाहन डीसीएम यूपी 14 एचटी 7365.

गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान, दिनांक व समय—

कटका पड़ाव स्थित गुरु नानक ढाबा के पास से, दिनांक 07.07.2021 को समय 14.25 बजे ।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

थाना कछवां	एसओजी टीम	स्वाट टीम
1-निरी0 अमित कुमार सिंह (प्रभारी थाना कछवां)	1-उ0नि0 जयदीप सिंह (प्रभारी एसओजी)	1-उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा (प्रभारी स्वाट)
2-व0उ0नि0 विनय कुमार राय	2-हे0का0 लालजी यादव	2-हे0का0 बिरेन्द्र सरोज
3-उ0नि0 रमेश राम	3-हे0का0 बृजेश सिंह	3-हे0का0 राजसिंह राणा
4-उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह	4-का0 अजय यादव	4-हे0का0 राजेश यादव
5-उ0नि0 हरिकेश सिंह	5-का0 मनीष सिंह	5-हे0का0 रविसेन सिंह
6-हे0का0 श्यामसेर यादव	6-का0भूपेन्द्र सिंह	6-का0 संदीप राय
7-हे0का0 राजू सिंह		7-का0 नितिल सिंह(सर्विलांस)
8- हे0का0 अरविन्द राय		
9-रि0का0 भरत कुमार		

नोट— उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 20,000/- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया ।

